न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
अतिक्रमण वाद संख्या–95 / 2013
शिव शंकर पंडित बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
16/01/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक शिव शंकर पंडित एवं उमेश कुमार पंडित दोनो पे0–राधा पंडित, साकिन–बहेड़ी, थाना–बहेड़ी, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतानाम के साथ वाद आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय से अभिलेख की मॉग की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा के पत्र संख्या–640 / सी0, दिनांक–13.12.2013 से निम्न न्यायालय का अंचल लगान निर्धारण अभिलेख संख्या–01 / 12–13 प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर संधारित है। वाद आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा बहेड़ी थाना संख्या–81 तौजी संख्या–6564 के खाता संख्या–1008 खेसरा संख्या–3290 रकवा–22 डी0 भूमि चितर मिसर, पे0–भैरो मिसर, दरवारी मिसर एवं भुखन मिसर एवं वऊआ नन्द मिसर, पे0–गोपाल मिसर एवं जदुनन्दन मिसर, पे0–श्री मिश्रर की रैयती भूमि थी। पुराना सर्वे खतियान में उक्त जमीन ब्रह्मोतर (लगान मुक्त) दर्ज है। तौजी संख्या–6564 के जमीन्दार द्वारा उक्त जमीन के लगान की वसुली नही की जाती थी। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार द्वारा भी उक्त जमीन का लगान निर्धारित नही किया गया। खतियानी रैयतों के वारिशानों द्वारा प्रश्नगत भूमिके बटवारे में 15 डी0 भूमि गोवर्धन मिसर के हिस्से मे प्राप्त हुई। गोवर्धन मिसर दो पुत्र राजवंशी मिसर एवं हरिश्चन्द्र मिसर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। उनके मृत्योपरांत उनके पुत्रों के द्वारा अन्य जमीन के साथ खेसरा संख्या–3290 पर स्वामित्व प्राप्त हुआ। पुनरीक्षित सर्वे में पुराना खेसरा संख्या–3290 से नया खाता संख्या–2136 खेसरा संख्या–6494 राजवंशी मिसर एवं हरिश्चन्द्र मिसर के नाम से बना है। उनका यह भी कहना है कि खतियानी वारिशान के वंशजो के द्वारा पुराना खेसरा संख्या–3290 की भूमि निबंधित केवाला दिनांक–06.07.79 से सत्य नारायण साह को बेच दिया एवं उन्हें दखल–कब्जा में दे दिया। सत्यनारायण साह अपनी आवश्यकता के कारण उक्त भूमि निबंधित केवाला दिनांक–26.11.1986 से आवेदक को बेच दिया एवं उस पर दखल–कब्जा दे दिया। आवेदक उक्त जमीन की खरीदगी के	

पश्चात् अंचल अधिकारी, बहेड़ी के समक्ष लगान निर्धारण वाद संख्या–01/2012 दायर किया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा राजस्व कर्मचारी से लगान निर्धारण से सम्बन्धित प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अंचल अमीन के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा पाते हुए लगान निर्धारण की अनुशंसा की गयी जिस पर अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–29.08.12 को पारित आदेश से अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा को भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा बी0टी0 एक्ट–1885 की धारा–112 'ए' में निहित प्रावधान के विरूद्ध दिनांक–27.09.12 को आदेश पारित किया गया। अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा रैयती भूमि का लगान निर्धारण का प्रस्ताव अग्रसारित किया गया था जिसका लगान निर्धारण पूर्व में नही किया गया। प्रश्नगत भूमि रैयती भूमि है, सरकार को लगान अदा करने के निमित्त से लगान निर्धारण की स्वीकृति दिया जाना अपेक्षित है। उनके विद्वान अधिवक्ता प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण करने का अनुरोध करते है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि ब्रह्मेतर /शिवोत्तर (बेलगान) रहने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–27.09.2012 को पारित आदेश में प्रश्नगत भूमि पुराना सर्वे में ब्रह्मेतर (बेलगान) प्रतिवेदित रहने के आधार पर लगान का निर्धारण वाद को अस्वीकृत किया गया। आवेदक की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे कि आवेदक के कथन को बल मिलता हो कि निम्न न्यायालय के आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता है।

अतएव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–27.09.12 को पारित आदेश को विधि सम्मत पाते हुए इसे सम्पुष्ट किया जाता है तथा आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बहेड़ी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा को भेजे।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

16/11/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।